

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	हसंराज, प्रधानाचार्य, डवलीराठान,वासकुतुव, (हनुमानगढ़)	05-07-65	29-01-91 Lect.	28-01-11 20Y	29-01-11 II	15600-39100	6600
2	तरसेम सिंह, प्रधानाचार्य, आदर्श 4 डीडब्ल्यूएम, रावतसर, (हनुमानगढ़)	13-09-62	18-11-86 Sr.T	17-11-16 30Y	18-11-16 III	15600-39100	6800
3	श्री चन्द जैन, प्रधानाचार्य, देलवाडा जवाजा, (अजमेर)	13-11-56	17-10-96 Lect.	16-10-16 20Y	17-10-16 II	15600-39100	6800
4	मंगल चन्द खटीक, सेवानिवृत्त, प्रधानाचार्य, लिखमाका वास सीकर	20-07-57	08-02-85 Lect.	07-02-15 30Y	08-02-15 III	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।



(नथमल डिडेल)


आईएएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 11.09.2019

कमाक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-19

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर